Azadi Ka Amrit Mahotsav

भीम

राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर, 302001 दूरभाष न. 0141–2373904 ई–मेल–scr-rj@nic.in

क्रमांक /फा /संस्था /1 /1 /12 /भूप्रआ/2021/पार्ट/2719-48 दिनांकः- 15.05.2023

संशोधित कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पटवारी पद के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची (पटवार भर्ती परीक्षा 2021) से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/कार्यग्रहण पर स्थगन के फलस्वरूप कई अभ्यर्थी कार्यग्रहण से वंचित रह गए थे। उक्त स्थगन के हटाए जाने के फलस्वरूप न्यायालय के आदेश दिनांक 02/05/2023 की अनुपालना एवं राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक राम/भू.अ./परीक्षा /प-297/2022/5204-5236 दिनांक 10/05/2023 के क्रम में पूर्व में जारी पटवारियों के नियुक्ति आदेश क्रमांक /फा /संस्था /1 /1 /12 /भूप्रआ/2021/पार्ट/ 16484-16754 दिनाक 02/12/2022 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व नियुक्ति आदेश दिनांक 02/12/2022 एवं यथा संशोधित निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन सम्बंधित भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालयों में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है-

1. शर्त संख्या 3 के अंतर्गत कार्य ग्रहण की दिनांक 17/05/2023 रहेगी एवं शर्त संख्या 5 में वर्णित दिनांक 09 /12 /2022 के स्थान पर दिनांक 17/05/2023 पढ़ा जावे तथा शर्त संख्या 8 में वर्णित दिनांक 03/01/2023 के स्थान पर दिनांक 16/06/2023 पढ़ा जावें।
2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 7(13) कार्मिक /क -2/23 दिनांक 11/05/2023 के क्रम में शर्त संख्या 8 के पश्चात शर्त संख्या 9 निम्न प्रकार रहेगी-

   शर्त संख्या 9. राज्य में राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले अन्य शपथ-पत्रों यथा दहेज, तम्बाकू विवाहित / अविवाहित संतान घोषणा आदि के साथ ही राज्य में राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे: -

   "मैं शपथ लेता हूँ / लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा / रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा / रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा / करूंगी।

   (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)"
3. उक्त आदेश की शर्त संख्या 9 के पश्चात शर्त संख्या 10 निम्न प्रकार रहेगी -

   शर्त संख्या 10. यह नयुक्ति DB Civil Special Apeal (Writ) No. 56 /2023 Riteesh Kumar Jyotishi & Others Vs State Of Rajasthan & Others के अंतिम निर्णयाधीन रहेगी और अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति की जा रही है केवल परिवीक्षा पर रहेंगे और उनका स्थायीकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

4. शेष शर्तें पूर्व प्रसारित नियुक्ति आदेश दिनांक 02/12/2022 के अनुसार यथावत रहेंगी।

5. प्रशिक्षण की तिथि व स्थान के सम्बन्ध में पृथक से सूचित कर दिया जावेगा।

(राजेन्द्र विजय)
भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. प्रधानाचार्य, भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान एवं अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. भू-प्रबंध अधिकारी जयपुर/ जोधपुर /बीकानेर /भरतपुर /कोटा /टोंक /अलवर /सीकर /उदयपुर /भीलवाड़ा /अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त मूल नियुक्ति आदेश दिनांक 02/12/2022 के अंतर्गत शेष रहे नवनियुक्त प्रशिक्षु पटवारियों को कार्यग्रहण करवाकर कार्यग्रहण / उपस्थिति रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. कोषाधिकारी जयपुर/ जोधपुर /बीकानेर /भरतपुर /कोटा /टोंक /अलवर /सीकर /उदयपुर /भीलवाड़ा /अजमेर द्वारा सम्बंधित कार्यालय।
6. निजी सहायक भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर / अति भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर।
7. प्रभारी आईटी शाखा मुख्य कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं जरिये ईमेल/व्हाट्स एप्प सम्बंधित अभ्यर्थियों को सूचित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान
जयपुर